FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रामासनी

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
ईश्वरलाल		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–181 / 2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.12.2021	प्रार्थी ईश्वरलाल पुत्र नैनाराम जाति सरगरा निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प रामासनी में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 226 रकबा 1.9092 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.9497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 4.3767 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 422 रकबा 2.3461 हैक्टैयर है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता नैनाराम पुत्र पेमाराम की थी। नैनाराम का देहान्त करीब 15 वर्ष पूर्व में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया। उस फौतेदगी नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम ईश्वरलाल के बजाय केसाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ईश्वरलाल है तथा सरकारी दस्तावेज भी ईश्वरलाल के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि भूमि में केसाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर ईश्वरलाल नैनाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ईश्वरलाल ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज कर। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी ईश्वरलाल का आधारकार्ड, राशनकार्ड,जनआधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जमाबंदी संवत् 2075 से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:26 IST
Reason: SelfAttested

2078 खसरा नम्बर 226, 408, 565 ग्राम रामासनी (केसाराम पुत्र नैनाराम), जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 422 ग्राम शिवनगर (केसाराम पुत्र नैनाराम) आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत रामासनी द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 छोटाराम पुत्र नैनाराम जाति सरगरा निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में केसाराम पुत्र नैनाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम ईश्वरलाल के बजाय केसाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त

वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 226 रकबा 1.9092 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.9497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 4.3767 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 422 रकबा 2.3461 हैक्टैयर में केसाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर **ईश्वरलाल पुत्र नैनाराम** जाति सरगरा निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम रामासनी में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:26 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रामासनी

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
ईश्वरलाल पुत्र नैनाराम जाति सरगरा निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 181 / 2021

निर्णय **दिनांक** :— 01.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 226 रकबा 1.9092 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.9497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 4.3767 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 422 रकबा 2.3461 हैक्टैयर में केसाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर **ईश्वरलाल पुत्र नैनाराम** जाति सरगरा निवासी रामासनी तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकार घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। उभय पक्षकारान [illegible] वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:26 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.12.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:26 IST
Reason: SelfAttested